कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, राजसमंद

जल चक्की, तुलसी साधना शिखर रोड, कांकरोली Email Id- dcf.wl.rajsamand@gmail.com 02952-223813

क्रमांकः– एफ सर्वे उवसं/2023/ 889 दिनांक :- 31-1-23

निमित्त्

मुख्य वन संरक्षक
वन्यजीव उदयपुर।

विषयः– Construction of bypass road from NH 8 to kothariya & Nathuwas link road, Nathdwara (FP/RJ/ROAD/ 154137/2022) के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक 83 दिनांक 10.01.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में संदर्भित पत्र से लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार है–

क.स.	आक्षेप	प्रतित्तर
1.	इस कार्यालय के पत्रांक 2500 दिनांक 29.11.2022 में बिन्दु स. 2 के अनुसार लगभग 5.45 हैक्ट. वन भूमि प्रस्तावित सडक के दूसरी ओर छोडी जाने से वह वनभूमि अतिक्रमण के होने की पूरी संभावना रहेगीं। अतः उक्त छोडी गयी वनभूमि 5.45 हैक्ट. को भी डायवर्जन हेतु प्रस्ताव में सम्मलित किया जावें।साथ ही प्रस्तावित सडक के किनारे–किनारे 6 फिट ऊँची पक्की दीवार निर्माण कार्यकारी एजेंसी से करवाने हेतु ऐफिडेबिड भी लिया जावे ताकि शेष बची वनभूमि को भविष्य में अतिक्रमण से बचाई जा सकें।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा स्वयं के व्यय पर लगभग 5.45 हैक्ट. वन भूमि प्रस्तावित सडक के दूसरी ओर छोडी जाने वाली वनभूमि को अतिक्रमण से बचाने के हेतु सडक के दूसरी ओर छोडी वनभूमि के चारो ओर पक्की दीवार निर्माण एवं प्रस्तावित सडक के किनारे–किनारे 6 फिट ऊँची पक्की दीवार निर्माण के संबंध ऐफिडेबिड दिया गया है, प्रति संलग्न है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की गाईड लाईन अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण को न्यूनतम वनभूमि उपयोग का ऐफिडेबिड दिया जाना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की गाईड लाईन के तहत प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा न्यूनतम वनभूमि उपयोग की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गयी है, जिस के तहत 5.45 हैक्ट. अतिरिक्त वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव तैयार करना न्यायोचित नही है।
2.	नाथद्वारा से मावली एवं कोठारिया जाने वाली सडको को लिंक करने हेतु वन भूमि से प्रस्तावित की गई सड़क के अतिरिक्त क्या कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है ? इस क्रम में आप द्वारा कोई टिप्पणी नही की गई है। जबकि एक नोटिस के क्रम में सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड नाथद्वारा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दी गई जानकारी के अनुसार नाथद्वारा नेशनल हाईवे नम्बर 08 से कोठारिया एवं नाथूवास के लिए सड़क पहले से ही विद्यमान है (प्रतिलिपि संलग्न)। कृपया इस संबंध में औचित्य स्पष्ट करे।	वर्तमान में नाथद्वारा से मावली एवं कोठारिया जाने हेतु सड़क विद्यमान है। परन्तु ये दोनो सडके नेशनल हाइवे –8 पर खुलती है तथा वाहनों को तीव्र गति से आ रहे भारी वाहने के बीच मे से निकलना पडता है। साथ ही साथ मावली से नाथद्वारा जाने वाले वाहनों को नेशनल हाइवे –8 के चारो लेन पार कर सर्विस रोड से जाना पडता है जिस पर नाथद्वारा से निकलने वाले वाहन भी विपरीत दिशा में आकर नेशनल हाइवे –8 पर मिलते है। इन कारणों से यातायात व्यवस्थित नही होने के कारण प्रायः ट्रेफिक जाम एवं सडक दुर्घटनाएं होती है। इनको रोकने के हेतु उक्त बाईपास सडको की आवश्यकता है, जिसके द्वारा नाथद्वारा से सीधे ही मावली एवं कोठारिया रोड पर नेशनल हाइवे –8 को बिना पार किये हुये पंहुचा जा सके। नाथद्वारा में आने के लिये मावली एवं कोठारिया रोड से नेशनल हाइवे –8 को बिना पार किये लिये वर्तमान कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है।

Scanned with CamScanner

	आपके संदर्भित पत्र के बिन्दु सं (3) में आप द्वारा वर्णित किया गया है कि इस कार्यालय द्वारा सुझाये गये कम खर्च में निर्मित किये जाने वाले सीधे रूट में अत्यधिक ऊँचाई वाले पहाड एवं चट्टान होने से इस पर निर्माण किया जाना संभव नही है। इस क्रम में कार्यकारी एजेंसी द्वारा करवाये गये फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की प्रति संलग्न करावें।	फिजिबिलिट रिपोर्ट सलग्न है।

संलग्न'—उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डॉ. ए.एम. गुप्ता)
उप वन संरक्षक
वन्य जीव राजसमन्द

Scanned with CamScanner

Full title of the Project: "Construction of Bypass Road from NH-8 to Kothariya & Nathuwas link road, Tehsil-Nathdwara, District -Rajsamand (Rajasthan)"

Proposal No : SW/106341/2022 (FP/RJ/ROAD/404859/2022)

Date of Proposal : 01-11-2022

Diversion Area : 3.4164 Ha.

शपथ–पत्र

प्रयोक्ता अभिकरण निम्नानुसार कार्य करवाने का शपथ–पत्र प्रस्तुत करता है:–

1. प्रस्तावित सडक के किनारे–किनारे 6 फिट ऊॅची पक्की दीवार निर्माण का निर्माण नगरपालिका द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जावेगा।
2. लगभग 5.45 हैक्ट. वन भूमि प्रस्तावित सडक के दूसरी ओर छोडी जाने वाली वनभूमि को अतिक्रमण से बचाने के हेतु सडक के दूसरी ओर छोडी वनभूमि पर नगरपालिका द्वारा स्वयं के व्यय पर पक्की दिवार निर्माण कर वन विभाग को सुपुर्द किया जावेगा।

Place : Nathdwara
Date :-30-01-2023

सहायक अभियन्ता
नगर पालिका नाथद्वारा (राज.)
(Chandra Mohan Kaushik,)
Assistant Engineer
Municipal Board,
Nathdwara

Countersigned -
Divisional Forests Officer
Forest Division उप वन संरक्षक
Office Seal वन्यजीव, राजसमन्द

Scanned with CamScanner

Full title of the Project: "Construction of Bypass Road from NH-8 to Kothariya & Nathuwas link road, Tehsil-Nathdwara, District -Rajsamand (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/ROAD/154137/2022

Date of Proposal : 06-04-2022

Diversion Area : 3.4164 Ha.

CHECK LIST SERIAL NUMBER-11

CERTIFICATE FOR MINIMUM USE OF FOREST LAND

This is to certify that the forest area involved in the proposal unavoidable and barest minimum forest area i.e. **3.4164** ha area is Proposed diversion.

Place : Nathdwara
Date :-19-11-2022

सहायक अभियन्ता
नगर पालिका नाथद्वारा (राज.)
(Chandra Mohan Kaushik,)
Assistant Engineer
Municipal Board, Nathdwara

Countersigned -
Divisional Forests Officer
Forest Division
Office Seal

उप वन संरक्षक
वन्यजीव, राजसमन्द

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द(राज.)

Email: np_ntd@yahoo.co.in, nagarpalikanathdwara@gmail.com Ph. 02953-233526

क्रमांक 20081
निमित्त:–

दिनांक 30-1-2023

श्रीमान् उप वन संरक्षक महोदय,
वन्यजीव राजसमन्द।

विषय:– Construction of bypass road from NH 8 to kothariya & Nathuwas link road, Nathdwara के संबंध में।

संदर्भ:– मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर के कार्यालय पत्रांक 83 दिनांक 10.01.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में संदर्भित पत्र से लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नासार है–

क.स.	आक्षेप	प्रतित्तर
1.	इस कार्यालय के पत्रांक 2500 दिनांक 29.11.2022 में बिन्दु स. 2 के अनुसार लगभग 5.45 हैक्ट. वन भूमि प्रस्तावित सडक के दूसरी ओर छोडी जाने से वह वनभूमि अतिकमण के होने की पूरी संभावना रहेगीं। साथ ही प्रस्तावित सडक के किनारे–किनारे 6फिट ऊँची पक्की दीवार निर्माण कार्यकारी एजेंसी से करवाने हेतु ऐंफिडेबिड भी लिया जावे ताकि शेष बची वनभूमि को भविष्य में अतिकमण से बचाई जा सकें।	लगभग 5.45 हैक्ट. वन भूमि प्रस्तावित सडक के दूसरी ओर छोडी जाने वाली वनभूमि को अतिकमण से बचाने के हेतु सडक के दूसरी ओर छोडी वनभूमि पर नगरपालिका द्वारा स्वयं के व्यय पर पक्की दिवार निर्माण कर दिया जावेगा। प्रस्तावित सडक के किनारे–किनारे 6फिट ऊँची पक्की दीवार निर्माण का ऐफिडेबिड संलग्न है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की गाईड लाईन अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण को न्यूनतम वनभूमि उपयोग का ऐफिडेबिड दिया जाना है। अतः 5.45 हैक्ट. अतिरिक्त वन भूमि का प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव तैयार करना न्यायोचित नही है।
2.	नाथद्वारा से मावली एवं कोठारिया जाने वाली सडको को लिंक करने हेतु वन भूमि से प्रस्तावित की गई सड़क के अतिरिक्त क्या कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है ? इस क्रम में आप द्वारा कोई टिप्पणी नही की गई है। जबकि एक नोटिस के क्रम में सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड नाथद्वारा द्वारा सूचना के	उक्त प्रस्तावित बाईपास सडक निर्माण का उदेद्श्य नाथद्वारा से मावली एवं कोठारिया को नेशनल हाईवें को बिना कॉस किये नाथद्वारा से जोडना एवं हाइवे कोसिंग के दोरान होने वाली सडक दुर्घटनाओ को रोकने के साथ–साथ नेशनल हाइवे को यातायात दबाब को कम करना है। चूकिं जिस जगह दोनो सडको को नाथद्वारा से जोडा जोयेगा वहा पर नेशनल हाइवे –8 पर पहले से ओवर ब्रिज बना हुआ है। सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग

E:\Bherulal\Letter\2023\Jan\Factual report bypass (1).docx

Scanned with CamScanner

	अधिकार अधिनियम के तहत दी गई जानकारी के अनुसार नाथद्वारा नेशनल हाईवे नम्बर 08 से कोठारिया एवं नाथूवास के लिए सडक पहले से ही विद्यमान है (प्रतिलिपि संलग्न)। कृपया इस संबंध में औचित्य स्पष्ट करे।	उपखण्ड नाथद्वारा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दी गई जानकारी केवल पहले से ही विद्यमान सडक के संबंध में दी गयी है। वर्तमान में नाथद्वारा से मावली एवं कोठारिया जाने हेतु सडक विद्यमान है। ये दोनो सडके नेशनल हाइवे –8 पर खुलती है तथा वाहनों को तीव्र गति से आ रहे भारी वाहने के बीच मे से निकलना पडता है। साथ ही साथ मावली से नाथद्वारा जाने वाले वाहनों को नेशनल हाइवे –8 के चारो लेन पार कर सर्विस रोड से जाना पडता है जिस पर नाथद्वारा से निकलने वाले वाहन भी विपरीत दिशा में आकर नेशनल हाइवे –8 पर मिलते है। इन कारणों से यातायात व्यवस्थित नही होने के कारण प्रायः ट्रेफिक जाम एवं सडक दुर्घटनाएं होती है। इनको रोकने के हेतु उक्त बाईपास सडको की आवश्यकता है, जिसके द्वारा नाथद्वारा से सीधे ही मावली एवं कोठारिया रोड पर नेशनल हाइवे –8 को बिना पार किये हुये पंहुचा जा सके। प्रस्तावित दोनो सडकों के निर्माण का औचित्य उपरोक्तानुसार वर्णित है।
	आपके संदर्भित पत्र के बिन्दु सं (3) में आप द्वारा वर्णित किया गया है। कि इस कार्यालय द्वारा सुझाय गये कम खर्च में निर्मित किये जाने वाले सीधे रूट में अत्यधिक ऊँचाई वाले पहाड एवं चट्टान होने से इस पर निर्माण किया जाना संभव नही है। इस क्रम में कार्यकारी एजेंसी द्वारा करवाये गये फिजिबिलिट रिपोर्ट प्रस्तुत की प्रति संलग्न करावें।	फिजिबिलिट रिपोर्ट संलग्न है।

आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)

Ph. 02953-233526
Email: np_ntd@yahoo.co.in, nagarpalikanathdwara@gmail.com

—:फिजिबिलिटी रिपोर्ट:—

कार्य का नाम:— Construction of bypass road from NH 8 to kothariya & Nathuwas link road, Nathdwara के संबंध में।

उक्त कार्य के संबंध में मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर के कार्यालय पत्रांक 83 दिनांक 10.01.2023 के बिन्दु सं. 03 की अनुपालना में दिनांक 25.01.2023 को तकनिकी अधिकारी/कर्मचारीयों 1. श्री तरुण बायेती, अधिशाषी अभियंता, नगरपरिषद राजसमन्द 2. श्री चन्द्रमौहन कौशिक, सहायक अभियन्ता नगरपालिका नाथद्वारा 3. श्री प्रतीक नागां कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका नाथद्वारा उपस्थिती में प्रस्तावित स्थल का मौका निरिक्षण कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गयी, जो कि निम्नानुसार हैं :—

1. संदर्भित पत्र से प्रस्तावित सड़क के संरेखण (ले—आउट) में अत्यधिक ऊँचाई वाले पहाड एवं चट्टान है।
2. उक्त प्रस्तावित सड़क का संरेखण (ले—आउट) में आने वाले पहाड एवं चट्टाने में लगभग 134 मीटर की उचाई का अन्तर है।
3. उक्त प्रस्तावित सड़क के संरेखण (ले—आउट) में आने वाले भूमि पर अत्यधिक घनत्व में वनस्पति एवं पेड—पौधें विघमान है।
4. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सडक निर्माण किया जाता है तो अत्यधिक मात्रा में कटाई एवं भराई कार्य करना पडेगा एवं सड़क में अत्यंत विकट मोड प्रस्तावित होंगे जो यातायात नियमों अनुसार उचित नहीं होगा।
5. अत्यधिक घनत्व में वनस्पति एवं पेड—पौधें विघमान होने से अत्यधिक मात्रा में वनस्पति एवं पेड— पौधें का नुकसान होगा जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुचित है।
6. वन विभाग द्वारा बताये अनुसार संशोधित किया जाता हैं तो सड़क की लम्बाई लगभग 200—300 मीटर अतिरिक्त हो जायेगी।
7. लम्बाई बढाने से प्रस्तावित संरेखण में अत्यंत उंची पहाडी एवं कापी स्थानों पर गहरा खड्डा होने के कारण सुगम यातायात के मध्यनजर सडक को निर्माण में लागत लगभग 5से 6 गुणा बढ जावेगी।

अधिशाषी अभियंता
नगरपरिषद, राजसमन्द

सहायक अभियन्ता
नगरपालिका नाथद्वारा

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका नाथद्वारा

E:\Bherulal\Letter\2023\Jan\Factual report bypass (1).docx

Scanned with CamScanner